भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 910

07 फरवरी,2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

जनजातीय जिलों में एम्स की स्थापना

910. श्री राधेश्याम राठिया:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के जनजाति बहुल जिलों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) महाविद्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और जशपुर जिलों के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जनजातीय लोगों सहित प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत, अब तक देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है, जिनमें रायपुर (छत्तीसगढ़), देवघर (झारखंड), नागपुर (महाराष्ट्र) और मंगलगिरी (आंध्र प्रदेश) स्थित एम्स शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एम्स का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, विशेषकर शहरी, ग्रामीण और आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने

परिकल्पना की गई है।

i. जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केन्द्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) जैसे स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए जनसंख्या आधारित मानदंडों को 5000, 30,000 और 1,20,000 से शिथिल करते हुए क्रमशः 3000, 20,000 और 80,000 कर दिया गया है ;

ii. सामान्य क्षेत्रों में प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक आशाकर्मी के मानक के स्थान पर जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति बस्ती एक आशाकर्मी की तैनाती की गई है; तथा

iii. मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) के मानक की तुलना में जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम/दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू की तैनाती का मानक रखा गया है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) वाले क्षेत्रों को एनएचएम मानदंडों में आगे और छूट प्रदान की गई है:

i. पीवीटीजी क्षेत्रों वाले प्रत्येक जिले में 10 एमएमयू तक; तथा

ii. बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एमपीसी) पर एक अतिरिक्त सहायक नर्स मिडवाइफ़ (एएनएम) का प्रावधान तथा पीवीटीजी क्षेत्रों में बुनियादी दवाएं और नैदानिक सेवाएं उपलब्ध कराना।

*****

अनुलग्नक

पीएमएसएसवाई के तहत स्वीकृत स्थान-वार/राज्य-वार एम्स का विवरण

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**एम्स का स्थान**	स्थिति
1	आंध्र प्रदेश	एम्स मंगलागिरी	कार्यशील
2	असम	एम्स गुवाहाटी	निर्माणाधीन
3	बिहार	एम्स दरभंगा	निवेश-पूर्व कार्य प्रगति पर है
4		एम्स पटना	कार्यशील
5	छत्तीसगढ़	एम्स रायपुर	कार्यशील
6	गुजरात	एम्स राजकोट	निर्माणाधीन
7	हरियाणा	एम्स माजरा (रेवाड़ी)	निर्माणाधीन
8	हिमाचल प्रदेश	एम्स बिलासपुर	कार्यशील
9	जम्मू और कश्मीर	एम्स विजयपुर, सांबा, जम्मू	निर्माणाधीन
10		एम्स अवंतीपुरा, कश्मीर	निर्माणाधीन
11	झारखंड	एम्स देवघर	निर्माणाधीन
12	मध्य प्रदेश	एम्स भोपाल	कार्यशील
13	महाराष्ट्र	एम्स नागपुर	कार्यशील
14	ओडिशा	एम्स भुवनेश्वर	कार्यशील
15	पंजाब	एम्स बठिंडा	कार्यशील
16	राजस्थान	एम्स जोधपुर	कार्यशील
17	तमिलनाडु	एम्स मदुरै	निर्माणाधीन
18	तेलंगाना	एम्स बीबीनगर	निर्माणाधीन
19	उत्तर प्रदेश	एम्स रायबरेली	कार्यशील
20		एम्स गोरखपुर	कार्यशील
21	उत्तराखंड	एम्स ऋषिकेश	कार्यशील
22	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी	कार्यशील

*****